"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 268] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 जून 2013—आषाढ़ 6, शक 1935

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2006/(6)52 (1192).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति के लिए तात्पर्यित चयन समिति;

   (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5, पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों पर मूल रूप से नियुक्त हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;

(ख) छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग राजपत्रित या अराजपत्रित सेवा के मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में पद धारण करने वाले सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (जैसा कि अनुसूची चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है);

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी विनिर्दिष्ट सेवाओं में अभिहित पदों को मूल रूप से धारण करते हों;

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– "... छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी उपक्रम इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप—(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो,

वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव.**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।

(तीन) **फीस.**– अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी का उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा में या साक्षात्कार हेतु शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा में शामिल होने की पात्रता नहीं होगी और साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(2) आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया के प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(4) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। आरक्षण समस्तर और प्रभागवार होगा।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(6) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के सदस्य

हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थी की, जो महिला/निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो शासन, आयोग के परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमि–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची**— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगा तथा महिला, निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक

प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में चयन सूची, तैयार कर सकेगा, जो ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जब तक कि उस पद के लिये चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ न हो जाए किन्तु शासन, आयोग से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात् सामान्यतया एक वर्ष के भीतर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। यह सूची ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी, जब तक कि उस पद के लिये चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ न हो जाये किन्तु शासन, आयोग से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात् सामान्यतया एक वर्ष के भीतर नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

स्पष्टीकरण– प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट (अंक) को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता

के [illegible] अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए, अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) उप–नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नही की जाएगी, जब तक कि शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नही की हो।

13. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

15. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन.**– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

16. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (8) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर

[illegible] वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गो के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचारण के लिए क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा । यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण का क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी । समिति, उक्त विचारण क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी ।

(2) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

17. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन

सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

18. **आयोग से परामर्श.**– (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ शासन द्वारा आयोग को भेजी जायेंगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अभिलेख के आधार पर समिति के मत ।

(तीन) समिति की अनुशंसाओं पर शासन के मत।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष या कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहे हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

19. **चयन सूची.**– (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि, इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो,सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

20. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.–** (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

21. **परिवीक्षा.–** सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

22. **निर्वचन.–** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

23. **शिथिलीकरण.–** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

24. निरसन एवं व्यावृत्ति.– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते है;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप–सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 जून 2012

क्रमांक एफ 1-5/2006/(6)52 (1192).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-5/2006/(6)52 (1192), दिनांक 27-6-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप–सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य	01	(राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 7600
2.	रीडर (विविंग)	02	(राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 6600
3.	रीडर (डाईग / प्रोसेसिंग / टेस्टिंग / प्रिटिंग)	02	(राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 6600
4.	लेक्चरर (विविंग)	01	(राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 5400
5.	रीडर (डाईग / प्रोसेसिंग / टेस्टिंग / प्रिटिंग)	01	(राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 5400
6.	लेक्चरर (टेक्सटाईल डिजाईन)	01	(राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 5400
7.	लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	01	(राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 5400
8.	लाइब्रेरियन	01	(राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600—39100 ग्रेड वेतन 5400

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का तरीका

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
				सीधी भर्ती द्वारा (देखिये नियम 6 (1) (क))	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (देखिये नियम 6 (1) (ख))	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा (देखिये नियम 6 (1) (ग))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी							
1	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा, जिला जांजगीर–चांपा (ग्रामोद्योग विभाग)	प्राचार्य	01		100%		यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद को, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, नई दिल्ली अथवा उनके अधीनस्थ भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से पात्र अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।
2		रीडर (विविंग)	02	–	100%	–	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद को, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, नई दिल्ली अथवा उनके अधीनस्थ भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से पात्र अभ्यर्थियों से अथवा ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़ से पात्र अर्हित अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

		रीडर (डाईंग / प्रोसेसिंग / प्रिटिंग / टेस्टिंग)	02	–	100%	–	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद को, विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, नई दिल्ली अथवा उनके अधीनस्थ भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से पात्र अभ्यर्थियों से अथवा ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़ से पात्र अर्हित अभ्यर्थियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।
(राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी							
4	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा, जिला जांजगीर–चांपा (ग्रामोद्योग विभाग)	लेक्चरर (विविंग)	01	100%	–	–	–
5		लेक्चरर (डाईंग / प्रोसेसिंग / प्रिटिंग / टेस्टिंग)	01	100%	–	–	–
6		लेक्चरर (टेक्सटाईल डिजाईन)	01	100%	–	–	–
7		लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	01	100%	–	–	–
8		लाइब्रेरियन	01	100%	–	–	–

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती के लिए व्यक्तियों की आयु एवं पात्रता

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजपत्रित सेवा – द्वितीय श्रेणी					
1	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा, जिला जांजगीर–चांपा (ग्रामोद्योग विभाग)	लेक्चरर (विविंग)	21 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी में डिग्री। 2. पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हेण्डलूम या टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज/संस्थान में तीन वर्ष का विविंग/अध्यापन अनुभव। अथवा 1. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रथम श्रेणी में हेण्डलूम टेक्नोलॉजी में तीन वर्षीय डिप्लोमा। 2. पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हेण्डलूम या टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज/संस्थान में पांच वर्ष का विविंग/अध्यापन अनुभव।
2		लेक्चरर (डाईग/प्रोसेसिंग/प्रिटिंग/टेस्टिंग)	21 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में टेक्सटाईल टेक्नोलॉजी में डिग्री। 2. पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हेण्डलूम या टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज/संस्थान में तीन वर्ष का डाईग/प्रोसेसिंग/टेस्टिंग/प्रिटिंग कार्य/अध्यापन अनुभव। अथवा 1. भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रथम श्रेणी में पोस्ट डिप्लोमा इन टेक्सटाईल केमेस्ट्री। 2. पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हेण्डलूम या टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज/संस्थान में पांच वर्ष का डाईग/प्रोसेसिंग/टेस्टिंग/प्रिटिंग कार्य/अध्यापन अनुभव।

		लेक्चरर (टेक्सटाईल डिजाईन)	21 वर्ष	30 वर्ष	1. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाईन से टेक्सटाईल डिजाईन में डिप्लोमा/डिग्री। 2. पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हेण्डलूम या टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज/संस्थान में टेक्सटाईल डिजाईनिंग कार्य /अध्यापन का तीन वर्ष का अनुभव। अथवा 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में फाईन आर्ट्स में डिग्री/डिप्लोमा। 2. पंजीकृत/मान्यता प्राप्त हेण्डलूम या टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज/संस्थान में टेक्सटाईल डिजाईनिंग कार्य/अध्यापन का पांच वर्ष का अनुभव।
4		लेक्चरर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग)	21 वर्ष	30 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री। 2. महाविद्यालय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव। अथवा 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। 2. महाविद्यालय में पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव।
5		लाइब्रेरियन	21 वर्ष	30 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में लाइब्रेरियन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। अथवा 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बेचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में लाइब्रेरियन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

टीप— छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार
(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, चांपा, जिला जांजगीर—चांपा (ग्रामोद्योग विभाग)	रीडर (विविंग /प्रोसेसिंग/ डाईंग/प्रिंटिंग टेस्टिंग)	प्राचार्य	03 वर्ष	1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उसका कोई सदस्य।	अध्यक्ष
					2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग।	सदस्य
					3. संचालक, ग्रामोद्योग (हथकरघा प्रभाग)	सदस्य
2.		लेक्चरर (विविंग)	रीडर (विविंग)	05 वर्ष	1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उसका कोई सदस्य।	अध्यक्ष
					2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग।	सदस्य
					3. संचालक, ग्रामोद्योग (हथकरघा प्रभाग)	सदस्य

3.		लेक्चरर (प्रोसेसिंग/ डाईग/प्रिंटिंग/ टेस्टिंग)	रीडर (प्रोसेसिंग /डाईग/प्रिंटिंग /टेस्टिंग)	05 वर्ष	1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित उसका कोई सदस्य।	अध्यक्ष
					2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग।	सदस्य
					3. संचालक, ग्रामोद्योग (हथकरघा प्रभाग)	सदस्य

Raipur, the 27th June 2013

NOTIFICATION

No. F 1-5/2006/(6)52 (1192).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of the Indian Institute of Handloom Technology (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These Rules may be called the Indian Institute of Handloom Technology (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

   (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;

   (b) "Committee" means a selection committee meant for departmental promotion as specified in Schedule-IV;

   (c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (d) "Examination" means the competitive examination held for recruitment conducted under Rule 11 of these rules;

   (e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

   (h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5, XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(k) "Service" means the Indian Institute of Handloom Technology (Gazetted) Service;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of service.– The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who, at the commencement of these rules, are appointed substantively on the posts specified in Schedule I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons are to be recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay etc. – The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of the member of the Chhattisgarh Gramodyog Gazetted or Non Gazetted Service (as specified in the column (3) of the Schedule IV) holding post in original or officiating;

(c) By transfer / deputation of persons who hold designated posts originally in such specified service.

(2) The number of persons recruited under clause (a), (b) or (c) of sub- rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3)Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled, during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may in consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in service.** – All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age- (a) He must have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (5) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto10 years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in the temporary Government service of this state or any [illegible] continuous period not less than 6 months and

who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for the employment in the Government Service.

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect for Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note-(1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) Fees – The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualified for selection.

(1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(2) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared the mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(6) Any candidate who is having more than two living offspring, out of which is born on 26th January, 2001 or thereafter, shall not be eligible for any service or post:

Provided that any candidate who is already having one living offspring and next delivery takes place on 26th January, 2001 or thereafter in which two or more than two children are born, shall not be disqualified for any service or post.

10. Commission's decision about the eligibility of the candidate shall be final. – (1) The decision of the Commission as to the eligibility or non-eligibility of the candidate to participate in the examination or to interview shall be final and no candidate to whom admit card is not issued for examination / interview will not be eligible to participate in the examination and will not be interviewed.

(2) During the course of the selection process of the Commission or after submitting the selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any inaccurate information is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/Interview.- (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, determine from time to time.

(2) The selection of candidates for the service shall be made in such manner as decided by the Commission.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(5) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(6) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(7) In addition to above the candidates who may women/disabled/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(8) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7), as the case may be.

(9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment, and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, then the Government after consulting with the Commission may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. List of candidates recommended by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, selection list may be prepared which shall be valid upto such period, till the time selection procedure for that post is not started once again but generally, the

Government will complete action for appointment within one year from the receipt of the selection list from the commission.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The list will be valid for such period, till the time the selection procedure for that posts is not started once again but generally, the Government will complete action for appointment within one year from the receipt of the selection list from the Commission.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integer number.

(4)Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5)Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6)The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(7)Any candidate, whose name is included in the select list, does not joins the duty within the valid period or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. Probation.- (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(2)If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appoinitng Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.

14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

15. Certification by the Appointing Authority.- Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

16. Eligibility criteria for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (5) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Manner of computation for eligibility for promotion:- The calculation of the period of qualifying service on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(i) In such cases, where the promotions are to be made on the basis of Seniority-cum- fitness or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no ground of consideration for all categories. Proposals of such number of public servants will only be considered on the basis of seniority that will be

sufficient to cover the existing post in each category and number of anticipatory vacancies falling on account of retirement/promotion during the period of one year.

(ii) In such cases, where the promotions are to be made on the basis of Merit cum Seniority there the area of consideration will be more than two times to four of the vacant post. Suppose, in the area of consideration, Scheduled Caste and Scheduled Tribe public servants are not available in sufficient number, the area of consideration can be extended upto 7 times of the total number of vacancies and the reserved post may be filled from the persons of reserved categories from the above area of consideration. The Committee will consider to fill up the vacancies existing under each category from aforesaid area of consideration and the anticipated vacancies arise on account of retirement and promotion during the period of one year.

(2) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servants included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(3) Promotions are to be made as per prescribed reservation roster by the Government.

(4) Other provisions the rules of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules 2003 and the instructions issued by the General Administrative Department from time to time shall be applicable for promotion.

17. Preparation of the list of suitable officers.- (1) The Committee shall prepare a list of such person as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and

minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2)The list of suitable officers shall be prepared as per the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.

18. **Consultation with the Commission.**- (1)The List prepared in accordance with rule 16 shall be forwarded to the Commission by the Government along with following documents: -

(i) The records of all the persons included in the list

(ii) The opinion of the Committee on the basis of the record

(iii) The opinion of the Government on the recommendations of the committee.

(2)If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

19. **Select list.**- (1) The Commission, along with other documents received from the Government, shall consider the list prepared by the committee and unless it considers any change necessary, will approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, along with such modifications, if any, in its opinion that is just and proper, will approve the list finally.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in the column (4) of the Schedule IV from the post mentioned in the column (3), will be the select list for promotion.

20. **Appointment in service from the Select list.-(1)**Appointment of the officers included in the select list on the cadre service posts shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless, in between period of the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, if any deficiency arises in his duties, which in the opinion of the Government, the person is found unsuitable for appointment in the service.

21. **Probation.-** Every person posted under promotion in the service shall be on probation for a period of 2 years.

22. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

23. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with, in any manner less favourable to him than, provided in these rules.

24. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

(1) Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules;

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

SCHEDULE–I

(See rule 5)

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal	01	(Gazetted) Service Class - I	15600-39100 Grade Pay 7600
2.	Reader (Weaving)	02	(Gazetted) Service Class - I	15600-39100 Grade Pay 6600
3.	Reader (Dyeing/Processing/ Testing/Printing)	02	(Gazetted) Service Class- I	15600-39100 Grade Pay 6600
4.	Lecturer (Weaving)	01	(Gazetted) Service Class - II	15600-39100 Grade Pay 5400
5.	Lecturer (Dyeing/Processing/ Testing/Printing)	01	(Gazetted) Service Class- II	15600-39100 Grade Pay 5400
6.	Lecturer (Textile design)	01	(Gazetted) Service Class- II	15600-39100 Grade Pay 5400
7.	Lecturer (Mechanical Engineering)	01	(Gazetted) Service Class- II	15600-39100 Grade Pay 5400
8.	Librarian	01	(Gazetted) Service Class- II	15600-39100 Grade Pay 5400

SCHEDULE – II

(See rule 6)

Method of Recruitment

S. No.	Name of Department	Name of Service	Total No. of Posts	Percentage of the number of Posts to be filled			Remarks
				By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of members of the services [See Rule 6(1)(b)]	By temporary transfer of the persons of other services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(Gazetted) Service Class I							
1	Indian Institute of Handloom Technology, Champa, District Janjgir – Champa (Gramodyog Department)	Principal	01		100%		If suitable candidates are not available the post will be filled by deputation from among the eligible candidates from the office of Development Commissioner for Handlooms, New -Delhi or their sub-ordinate Indian Institutes of Handloom Technology.

	---	Reader (Weaving)	02	--	100%	--	If suitable candidates are not available the post will be filled by deputation from among the eligible candidates from the office of Development Commissioner of Handlooms New -Delhi or their sub-ordinate Indian Institute of Handloom Technology or by eligible qualified candidates from Directorate of Gramodyog (Handloom), Chhattisgarh.
3		Reader (Dying/ Processing/ Printing/ Testing)	02	--	100%	--	If suitable candidates are not available the post will be filled by deputation from among the eligible candidates from the office of Development of commissioner of Handlooms New -Delhi or their sub-ordinate Indian Institute of Handloom Technology or by eligible qualified candidates from Directorate of Gramodyog (Handloom), Chhattisgarh.
Class II							
4	Indian Institute of Handloom Technology, Champa, District Janjgir – Champa (Gramodyog Department)	**Lecturer (Weaving)**	**01**	**100%**	--	--	---
5		**Lecturer (Dying/ Processing/ Printing/ Testing)**	**01**	**100%**	--	--	---

6		Lecturer (Textile Design)	01	100%	--	--	---
7		Lecturer (Mechanical Engineering)	01	100%	--	--	---
8		Librarian	01	100%	--	--	---

SCHEDULE – III

(See rule 8)

Age and eligibility of the persons to be recruited directly

S. No.	Name of Department	Name of post included in the service	Minimum Age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gazetted Service – Class II					
1	Indian Institute of Handloom Technology, Champa, District Janjgir – Champa (Gramodyog Department)	Lecturer (Weaving)	21 years	30 years	1. Degree in Textile Technology in First Class from any recognized University 2. Three years experience in weaving / teaching at registered / recognized Handloom or Textile Industries / Institution. OR 1. Three-year Diploma in Handloom Technology in First class from Indian Institute of Handloom Technology 2. Five years experience in weaving / teaching at registered / recognized Handloom or Textile Industries / Institution.
2		Lecturer (Dying/ Processing/ Printing/ Testing)	21 years	30 years	1. Degree in Textile Technology in First Class from any recognized University 2. Three years work/teaching experience in Dyeing / Processing/Testing/Printing in registered / recognized Handloom or Textile Industries / Institution. OR 1. Post Diploma in Textile chemistry in First Class from Indian Institute of Handloom Technology

					2. Five years work/teaching experience in Dyeing / Processing / Testing / Printing in registered / recognized Handloom or Textile Industries / Institution.
3		Lecturer (Textile Design)	21 years	30 years	1. Diploma/Degree in Textile Design from National Institute of Design 2. Three years experience in Textile Designing work / teaching in registered / recognized Handloom or Textile Industries ./ Institution OR 1. Degree/Diploma in Fine arts in First Class from any recognized University 2. Five years experience in Textile Designing work / teaching in registered / recognized Handloom or Textile Industries./Institution
4		Lecturer (Mechanical Engineer-ing)	21 years	30 years	1. Degree in Mechanical Engineering in First Class from recognized University 2. Three years teaching experience in College OR 1. Diploma in Mechanical Engineering in First Class from recognized University 2. Five years teaching experience in College
5		Librarian	21 years	30 years	1. M. Lib. Sc. in First Class from any recognized University 2. Three years experience as a librarian in recognized University or Institution. OR 1. B. Lib. Sc. in First t Class from any recognized University

					2. Five years experience as librarian in recognized University or Institution.

Note- The upper age limit for the resident of Chhattisgarh will be relaxable as per the instructions issued by the General Administration Department of the Government.

SCHEDULE – IV

(See rule 14 and rule 15)

S. No.	Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Minimum period of experience for eligibility of promotion	Name of Member of the Departmental Promotion Committee	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Indian Institute of Handloom Technology, Champa, District Janjgir – Champa (Gramodyog Department)	Reader (Weaving / Processing / Dyeing / Printing / Testing)	Principal	03 years	1. Chairman of the Chhattisgarh Public Service Commission or any member there of nominated by the Chairman.	*Chairman*
					2. Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Gramodyog Department.	*Member*
					3. Director Gramodyog (Handloom Cell).	*Member*
2		Lecturer (Weaving)	Reader (Weaving)	05 years	1. Chairman of the Chhattisgarh Public Service Commission or any member thereof nominated by the Chairman.	*Chairman*
					2. Secretary, Government of Chhattisgarh, Gramodyog	*Member*
						Member

					Department 3. Director Gramodyog (Handloom Cell)	
3		Lecturer (Processing / Dyeing / Printing / Testing)	Reader (Processing / Dyeing / Printing / Testing)	05 Years	1. Chairman of the Chhattisgarh Public Service Commission or any member there of nominated by the Chairman. 2. Secretary, Govt. of Chhattisgarh, Gramodyog Department 3. Director Gramodyog (Handloom Cell)	*Chairman* *Member* *Member*

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.